



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

अवैध शस्त्र सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक:- 18.01.2023

पुलिस अधीक्षक श्री घुले सुशील चंद्रभान द्वारा जनपद में सघन चेकिंग एवम् अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।

उक्त दिये गये निर्देश के क्रम में थाना कोतवाली नगर की पुलिस टीमों द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त 1.हिमांशू उर्फ मास्टर पुत्र बीरबल यादव मो० तरीनपुर थाना को०नगर जिला सीतापुर 2.सलमान पुत्र इश्हाक निवासी मो० रामबाग थाना मिश्रिख जनपद सीतापुर को भिन्न भिन्न स्थानो से 02 अदद अवैध तमंचा व 02 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। बरामद अवैध शस्त्र के संबंध में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तो का चालान मा० न्यायालय किया गया है।

● अभियुक्तगण का नाम/पता:-

1. हिमांशू उर्फ मास्टर पुत्र बीरबल यादव मो० तरीनपुर थाना को०नगर जिला सीतापुर
2. सलमान पुत्र इश्हाक निवासी मो० रामबाग थाना मिश्रिख जनपद सीतापुर

● बरामदगी :- 02 अदद अवैध तमंचा व 02 अदद कारतूस 12 व 315 बोर

● पंजीकृत अभियोग-

1. मु०अ०सं० 37/23 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर सीतापुर।
2. मु०अ०सं० 38/23 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर सीतापुर।

● पुलिस टीम 1:-उ०नि० श्री जितेन्द्र बहादुर सिंह, का० कृष्णानन्द , का० विपिन कुमार

पुलिस टीम 2:-उ०नि० श्री झारिया सिंह, का० अम्बिकेश्वर

● आपराधिक इतिहास हिमांशू उर्फ मास्टर उपरोक्त – मु०अ०सं० 66/2021 धारा 354,354ख,323,325,504,506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली नगर सीतापुर

आपराधिक इतिहास सलमान उपरोक्त – मु०अ०सं० 530/2022 धारा 307/452/504/506 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना मिश्रित सीतापुर

